

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-2/नियुक्ति-वाणिज्य/पीएससी/2015 दिनांक 19.07.15 द्वारा श्री गणेश मीना का आर.पी.एस.सी. द्वारा चयन होने के कारण व्याख्याता वाणिज्य के पद पर नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगंज (बारा) पदस्थापित किया गया था।

श्री गणेश मीना द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा-मा /संस्था /सी-2/ नियुक्ति-वाणिज्य /पीएससी/2015 दिनांक 19.07.15 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष याचिका संख्या 17519/2015 दायर की गई। जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30.11.2015 द्वारा उक्त याचिका में निर्णय पारित किया।

याचिका के निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनसे कम मैरिट वाले अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापित किया गया है जबकि उन्हें गृह जिले से बाहर पदस्थापन दिया गया है, इस लिए उन्होंने गृह जिले में पदस्थापित करने बाबत निवेदन किया।

अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग के संबंध में यह निर्णय लिया कि व्याख्याता(स्कूल शिक्षा) का पद स्टेट सर्विस का होने के कारण उसे राज्य के किसी भी विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जा सकता है प्रार्थी की इच्छानुसार पदस्थापन दिया जाना संभव नहीं है। श्री गणेश मीना द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगंज (बारा) में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

अतः श्री गणेश मीना द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है। जिससे सभी संबंधित सूचित हो।

(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएसएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

दिनांक - 04-05-16

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/कोर्टकेस/2015
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
1. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक कोटा
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बारा
3. संबंधित संस्था प्रधान राउमावि किशनगंज (बारा)
4. संबंधित कार्मिक श्री गणेश मीना व्या वाणिज्य राउमावि किशनगंज (बारा)
5. गार्ड फंजिका

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-ना/संस्था/सी-2/नियुक्ति-वाणिज्य/पीएससी/2015 दिनांक 19.07.15 द्वारा श्री मनोज कुमार का आर.पी.एस.सी. द्वारा चयन होने के कारण व्याख्याता वाणिज्य के उद पर नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बायतु (बाड़मेर) पदस्थापित किया गया था ।

श्री मनोज कुमार द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा-मा /संस्था /सी-2/ नियुक्ति-वाणिज्य /पीएससी/2015 दिनांक 19.07.15 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष याचिका संख्या 8889/2015 दायर की गई । जिसका क्रम में माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.08.2015 द्वारा उक्त याचिका में निर्णय पारित किया ।

याचिका के निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनसे कम मैरिट वाले अभ्यर्थीयो को गृह जिले में पदस्थापित किया गया है जबकि उन्हें गृह जिले से बाहर पदस्थापन दिया गया है, इस लिए उन्होंने गृह जिले में पदस्थापित करने बाबत निवेदन किया ।

अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग के संबंध में यह निर्णय लिया कि व्याख्याता(स्कूल शिक्षा) का पद स्टेट सर्विस का होने के कारण उसे राज्य के किसी भी विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जा सकता है प्रार्थी की इच्छानुसार पदस्थापन दिया जाना संभव नहीं है। श्री मनोज कुमार द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बायतु (बाड़मेर) में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

अतः श्री मनोज कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है। जिससे सभी संबंधित सूचित हो ।

(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

दिनांक - 19/08/2015

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/कोर्टकेस/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय राजा को सूचनार्थ
- 1.संबंधित उ.निदेशक माध्यमिक जोधपुर
- 2.संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बाड़मेर
- 3.संबंधित संस्था प्रधान राउमावि बायतु (बाड़मेर)
- 4.संबंधित कार्मिक श्री मनोज कुमार व्या वाणिज्य राउमावि बायतु (बाड़मेर)
- 5.गार्ड फ़ाइल

4/16

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-ना/संस्था/सी-2/नियुक्ति-वाणिज्य/पीएससी/2015 दिनांक 19.07.15 द्वारा श्री उमेश कुमार अग्रवाल का आर.पी.एस.सी. द्वारा चयन होने के कारण व्याख्याता वाणिज्य के पद पर नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोड का निम्बाहेडा(भीलवाडा) पदस्थापित किया गया था ।

श्री उमेश कुमार अग्रवाल द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा-ना /संस्था /सी-2/ नियुक्ति-वाणिज्य /पीएससी/2015 दिनांक 19.07.15 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के सम्मक्ष याचिका संख्या 464/2016 दायर की गई । जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18.01.2016 द्वारा उक्त याचिका में निर्णय पारित किया ।

याचिका के निर्णय की अनुपालना में अधिकारी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनसे कम मैरिट वाले अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापित किया गया है जबकि उन्हें गृह जिले से बाहर पदस्थापन किया गया है, इस लिए उन्होंने गृह जिले में पदस्थापित करने का वास्तविक निवेदन किया ।

अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जाकर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत मांग के संबंध में यह निर्णय लिया कि व्याख्याता(स्कूल शिक्षा) का पद स्टेट सर्विस का होने के कारण उसे राज्य के किसी भी विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जा सकता है प्रार्थी की इच्छानुसार पदस्थापन दिया जाना संभव नहीं है। श्री उमेश कुमार अग्रवाल द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोड का निम्बाहेडा(भीलवाडा) में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

अतः श्री उमेश कुमार अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है। जिससे सभी संबंधित सूचित हो ।

(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएसएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

दिनांक - 24/07/2016

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/कोर्टवेस/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
1. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक अजमेर
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भीलवाडा
3. संबंधित संस्था प्रधान राउमावि मोड का निम्बाहेडा (भीलवाडा)
4. संबंधित कार्मिक श्री उमेश कुमार अग्रवाल का वाणिज्य
5. गार्ड फंजिका

9/1/16
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-2/नियुक्ति-इतिहास/पीएससी/2015 दिनांक 18.07.15 द्वारा रुचिरा बिजारगियां का आर.पी.एस.सी. द्वारा चयन होने के कारण व्याख्याता इतिहास के पद पर नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन राउमावि धांधेला (नीम का थाना) सीकर पदस्थापित किया गया था ।

रुचिरा बिजारगियां द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा-मा /संस्था /सी-2/ नियुक्ति-इतिहास /पीएससी/2015 दिनांक 18.07.15 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के सम्मक्ष याचिका संख्या 13877/2015 दायर की गई । जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.10.2015 द्वारा उक्त याचिका में निर्णय पारित किया ।

याचिका के निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनसे कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को गृह जिले में ही निवास स्थान के नजदीक पदस्थापित किया गया है जबकि उन्हे गृह जिले में निवास स्थान से 108 किमी दूर पदस्थापन दिया गया है, इस लिए उन्होने गृह जिले में निवास स्थान के नजदीक पदस्थापित करने बाबत निवेदन किया ।

अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग के संबंध में यह निर्णय लिया कि व्याख्याता(स्कूल शिक्षा) का पद स्टेट सर्विस का होने के कारण उसे राज्य के किसी भी विधालय में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जा सकता है प्रार्थी की इच्छानुसार पदस्थापन दिया जाना संभव नहीं है। प्रार्थीया को गृह जिले में ही पदस्थापित किया गया है। रुचिरा बिजारगियां द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय धांधेला (नीम का थाना)सीकर में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

अतः रुचिरा बिजारगियां द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है। जिससे सभी संबंधित सूचित हो ।

(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

दिनांक - 04/11/2015

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/कोर्टवेस/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
- 1.संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक जयपुर
- 2.संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सीकर
- 3.संबंधित ररस्था प्रधान राउमावि धांधेला (नीम का थाना) सीकर
- 4.संबंधित कार्मिक रुचिरा बिजारगियां व्या इतिहास धांधेला (नीम का थाना) सीकर
- 5.गार्ड पंजिका

4/11/15
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर